श्रीमती कमला सिन्हा: सर, मे आई आस्क सप्लीमेंट्री? सदन के पटल में जो उत्तर आया है वह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी: सरकार ही संतोषजनक नहीं है।

श्रीमती कमला सिन्हा: सर, आपने अगर मेरा प्रश्न देखा होगा तो यह प्रश्न सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। भोजन सामग्री से जुड़ा हुआ है। खाद्य पदार्थों और दुग्ध में पेस्टिसाइड्स और डी०डी०टी० वगैरह मिलाए जाते हैं खेती करने में तो उनकी क्या स्थिति है, इसमें पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की ओर से जांच की गयी। इसमें कुछ रिसर्च हुई तो उन्होंने पाया—9 चावल के सैम्पुल्स की उन्होंने जांच की थी इनके लेविल्स की—कि गामा एच०सी०एच० या आर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, अनाज बनाने के बाद भी ब्रेक नहीं करते और इनकी क्वांटिटी बहुत यादा है। यहां तक कि एंटोमोलाजी डिपार्टमेंट में जो जांच की गयी उसमें भी पाया गया कि 80 परसेंट से ज्यादा हमारा अनाज, दुग्ध सामग्री और सब्जियां सब में जरूरत से ज्यादा, जो मापदण्ड है, उससे कई गुना अधिक ये सामग्रियां मिली हुई है। इन केमिकल्स के कारण साइंटिस्ट्स ने देखा की इपीलेप्सी, मिस कैरिजेज, कैन्सर, इम्यूनो सिस्टम का डैमेज, किडनी फेल्योर और तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या विस्तार से इनके बारे में कोई जांच करने की विधि है? क्योंकि इन्होंने जवाब में दिया है—लिमिटेड स्टडीज फ्राम टाइम टु टाइम—रेगुलर स्टडीज नहीं होती है। क्या रेगुलर स्टडीज का कोई इंतजाम करेंगे तत्काल?

श्री सोमपाल: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मानव स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों के संदर्भ में इसका बहुत महत्व है। यह बात सही है कि जितने भी अध्ययन अभी देश में हुए हैं उनमें यह बात पायी गयी है कि विभिन्न रसायनिक पदार्थों—कीटनाशकों, जैवनाशकों, फंगीनाशकों और वीडीसाइड्स का खरपतवार नाशकों के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है उसके कारण पूरी खाद्य श्रृंखला में और सब खाद्य पदार्थों में विषैले तत्वों के अवशेष विद्यमान है। परंतु जितने अध्ययन भी यहां हुए हैं उनसे यह पाया गया है कि जो सहनशीलता की सीमा निर्धारित की गयी है। जो मानक निर्धारित किए गए हैं, औसतन वे उनसे कम है। यह खोज खाद्य पदार्थों—चावल, अनाज, सब्जियां, फल इन सबके संबंध में की गयी है। यह एक बहुत लम्बी सूची है। 71 ऐसे पदार्थों के संबंध में एक ऐसी सीमा का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाएं इसका परीक्षण कर चुकी हैं। उन सब में यही पाया गया, केवल एक या दो स्थानों पर ऐसा जरूर है कि जहां निर्धारित सीमा से अधिक विषैले अवशेष पाए गए हैं। परन्तु माननीया सदस्या की यह बात सही है कि यह प्रयोग, यह जांच नहीं हो रही है और भारत सरकार इस जांच को सारी व्यवस्था को अधिक सशक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना लागू है और इन प्रयोगशालाओ में आधुनिकतम उपकरण ला कर नियमित रूप से जांच करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Excess use of Urea by Farmers

*65. KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian farmers have been using an overdose of the controlled urea which costs much less than the decontrolled diammonium phosphate and muriate of potash leading to severe imbalance in soil contents;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of fresh initiatives taken/proposed to rectify the imbalance; and

(d) the present status of New Fertiliser Policy and steps proposed for its implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The decontrol of Phosphatic and potassic fertilisers in 1992 resulted in steep rise in their prices leading to their reduced consumption. Consequently the NPK ratio widened from 5.9:2.4:1 (1991-92 pre-decontrolled year) to 9.5:3.2:1 (1992-93 post

decontrolled year). Owing to timely measures taken by Govt. of India, the NPK ratio is narrowing down. The ratio became 7.9:2.8:1.0 during 1997-98 which shows the improvement in the fertiliser use balance.

The initiatives taken by Government include:

(i) Giving concession of Rs. 1000/- tonne on indigenous DAP/MOP w.e.f. 1992-93. Concession of Rs. 340/ tonnes was given on SSP from Kharif 1993 onwards.

(ii) The concession has gradually been increased which is at present Rs. 4000/ tonne on indigenous DAP and Rs. 2500/ tonne on imported DAP/MOP and Rs. 900/ tonne on SSP.

(iii) Proportionate concession is being given on NPK complexes.

(iv) Fixation of uniform indicative prices by Central Govt. for P & K fertilisers (except SSP for which State Govts. continue to indicate the prices).

(v) Additional transport subsidy has been introduced from 1.4.97 for North Eastern States including Sikkim and Jammu & Kashmir. From 1.10.98 it has been decided to extend the same scheme to Himachal Pradesh and hilly areas of Uttar Pradesh and West Bengal.

(vi) The balanced used of Fertilisers is promoted through the Centrally Sponsored Scheme 'Balanced & Integrated Use of Fertilisers' which envisages enhanced use of organic and bio-fertilisers in conjunction with chemical fertilisers. The scheme also provides for strengthening of soil testing programme in the country so as to promote balanced fertiliser use based on soil test analysis.

(d) The High Powered Fertilisers Pricing Policy Review Committee (HPC) has made recommendations regarding a fertiliser policy. Inter-Ministerial consultations and dialogue with the Industry have been undertaken in regard to the recommendations made by the High Powered Committee. A new fertilier policy will be announced after conclusion of this exercise.

Ban on PTV

*66. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Andhra Pradesh has banned PTV;

(b) whether it is a fact that a book banned by any State, stands automatically banned in all the States;

(c) whether on this analogy, PTV stands banned throughout the country; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR NAQVI): (a) No, Sir. The transmission/ re-transmission of objectionable programmes on PTV channel has been prohibited in the twin cities of Hyderabad and Secunderabad only.

(b) According to Section 95 of the code of Criminal Procedure, a book banned by any State Government through a notification, may be seized by any Policy Officer wherever found in India.

(c) and (d) According to Section 19 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 an Authorised Officer may, in public interest, prohibit any cable operator from transmitting/re-transmitting any particular programme. As prohibition is specific to the particular cable operator(s), the analogy with banning of book is not relevant.